न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–पवन कुमार (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः–23/2018

1. सतनाम सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एमडी (बी) तहसील श्री अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

––– प्रार्थी

बनाम्

1. बद्रीप्रसाद पुत्र डालुराम जाति मेघवाल निवासी चक 9 एमडी (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. राजेश कुमार पुत्र श्योपतराम जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एमडी (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ़

–––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज.काश्त.अधिनियम
बाबत रास्ता मंजूर

दिनांकः–17.12.2020

::निर्णय::

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री प्रवीण सिंह राठौड़ उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी. एक्ट. के तहत रास्ता खेत स्वीकृत करने हेतु पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 5 एमडी–बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–6 पत्थर सं. –101/59 का किला नं.–6/1,14ता17, 23ता25 कुल 8 बीघा कमाण्ड /अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जो प्रार्थी के कब्जाकाश्त में है तथा वर्तमान में प्रार्थी ने अपनी उक्त कृषि भूमि में फसल बिजांद कर रखी है तथा अप्रार्थीगण 01 वा 02 के नाम से इसी चक के मुरब्बा नं.–05 पत्थर संख्या –121/3 का किला नं. –21ता25 कुल 5 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबंदी संलग्न है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है व प्रार्थी अपनी कृषि भूमि के चिपते अप्रार्थीगण संख्या–01 वा 02 की कृषि भूमि मुरब्बा नं.–05 पत्थर संख्या–121/3 के किला नं.–21ता25 में अरसा करीब 40 वर्षो से पक्का खाला के साथ–साथ कच्चा रास्ता है तथा अरसा करीब 40 वर्षो से प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग करता आ रहा है तथा उक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे आता जाता है. तथा वर्तमान में उक्त कच्चा रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण हर समय काश्तकारों के मध्य झगड़ा रहता है। कुछ सम[illegible] में से उक्त रास्ता बंद करने का प्रयास किया था। यदि उक्त रा[illegible] अप्रा[illegible]ण रास्ते को बंद करते है तो प्रार्थी अपने खेत में नहीं ज[illegible] अपनी कृषि भूमि में फसल बिजांद कर रखी है जि[illegible]माल नहीं होने पर न[illegible] जायेगी। अप्रार्थीगण संख्या–1 वा 2 के नाम से च[illegible] एमडी–बी का मुरब्बा [illegible] पत्थर संख्या–121/3 में किला नं.–21ता25 में पक्के खाले के साथ–साथ चल रहे रास्ता को बन्द कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन मुद्रा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.17 15:29:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की एवज में नही किया सकता। इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 5 एमडी–बी का मुरब्बा नं. –05 पत्थर संख्या–121/3 में किला नं.–21ता25 में से 10–10 फुट रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच हेतु तैयाद फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करते हुए प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को स्वीकृत करने की सहमति प्रदान की तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर अधिवक्ता ओमप्रकाश डागला उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा रास्ते के बदले में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि चक 5 एमडी–बी के मु0नं0 6 पत्थर नं0 101/59 के किला नं0 25 जो कि अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त भूमि के किला नं.–21 के चिपता ही है, में से भूमि देकर तथा प्रार्थी का रास्ते के बदले दी जाने वाली भूमि का कब्जा दिया जाकर एवं राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से अंकन करवाया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त कृषि भूमि मे से रास्ता लिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी को अपनी उक्त कृषि भूमि के किला नं0 21ता 25 मे से 10–10 फुट भूमि रास्ता देने के लिए तैयार है तथा अप्रार्थी संख्या 2 को कोई आपत्ति नही है।

भू. अभिलेख निरीक्षक लूणिया की ओर से प्रस्तावित रास्ता स्वीकृति हेतु चाहा गया प्रस्ताव/रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। उपर्युक्त रिपोर्ट में चक 5 एमडी–बी प.नं.–121/3 किला नं.– 17ता20, 25 में से रास्ते की सुविधा प्राप्त हो रही है। वर्तमान में उक्त रास्ता मौके पर चालू है। रास्ता प्रस्ताव सुविधाजनक उपयोग के लिए ना होकर आवश्यक है। प्रस्तावित रूट के अतिरिक्त अन्य रास्ता लघुतम नही है। मौका पर अप्रार्थी संख्या 1 बद्रीप्रसाद ने फर्द मौका में अपने रकबे प.नं0 121/3 किला नं0 24, 25 में रास्ता देने की बात पर सहमति जताई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 के प्रतिनिधि के तौर पर भू. अभिलेख निरीक्षक लूणिया द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी व नक्शा पेश किया गया। भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रास्ता स्वीकृति हेतु जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के लिए रास्ता प्रस्ताव सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आवश्यक है। प्रस्तावित रूट के अतिरिक्त अन्य रास्ता लघुत्तम नहीं है।

अंततः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी सतनाम सिंह की कृषि भूमि को कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है एवं उक्त बाबत् रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता होने के कारण, लघुत्तम होने के कारण एवं केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होने के कारण स्वीकृत किया जाना समीचीन है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए [illegible] की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तक[illegible] काश्तकार की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की [illegible] द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्या[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.17 15:29:23 IST
Reason: SelfAttested

::आदेश ::

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251"क" राज.काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक 5 एमडी–बी तहसील

Scanned with CamScanner

अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–6 पत्थर सं.–101/59 का किला नं.–6/1, 14ता17, 23ता25 कुल 8 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते की आवश्कता को परमावश्यक मानते हुए एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हो जाने के आधार पर अप्रार्थी सं.–1 एवं 2 की कृषि भूमि चक 5 एम.डी.–बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 05 पत्थर सं. 121/03 के किला नम्बर 21,22,23,24,25 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता की एवज में आयी भूमि के बदले में अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 को भुगतान करने हेतु राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं अप्रार्थीगण सं.–01 एवं 02 को प्रतिकर राशि का भुगतान उनके रास्ता में आयी भूमि के मुताबिक किया सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक17.012.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.17 15:29:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner